मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2005 (फाल्गुन 13, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री ऊर्जा, -

(1) मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 5704-एफ-आर.एस.17-तेरह-2002, दिनांक 29 सितम्बर, 2004, तथा

(ख) क्रमांक 7594-एफ-आर.एस.17-तेरह-2002, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004, तथा

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 2680-म.प्र.वि.नि.आ.2004, दिनांक 5 अक्टूबर, 2004

(ख) शुद्धि पत्र क्रमांक 012-मप्रविनिआ-2005, दिनांक 4 जनवरी, 2005

(ग) शुद्धि पत्र क्रमांक 222-मप्रविनिआ-2005, दिनांक 27 जनवरी, 2005

(घ) क्रमांक 3069-म.प्र.वि.नि.आ.-04, दिनांक 6 नवम्बर, 2004; तथा

(ङ) क्रमांक 3328-म.प्र.वि.नि.आ./ 04, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नानालाल पाटीदार, श्री दुर्गालाल विजय, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में सरसों की फसल समर्थन मूल्य पर न खरीदने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भोपाल शहर में ट्रेफिक व्यवस्था बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य, देवास जिले की चिचली एवं मैलपिपल्या खदानों से रेत के उत्खनन की रायल्टी न मिलने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रामदास उइके, हरवंश सिंह, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव नगर में पार्सल बम विस्फोट के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम सांटा से मुंगावली तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख)ग्राम देवगढ़ से नहर रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम बराहना को बीहड़ कटाव से बचाने हेतु सुरक्षा दीवार बनाये जाने,

(घ) ग्राम गुढ़ा चम्बल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम नंदपुरा स्थित विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(च) ग्राम बीरमपुरा से एम.एस.रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(छ) ग्राम हड़वासी से उमेदगढ़वासी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) ग्राम मझौली स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम कोल्हुआ से तिनगुड़ी सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) विनियम नाला एवं हुरूदुल नाले पर पुल बनाये जाने

(घ) ग्राम देवसर में लोक निर्माण विभाग का संभाग स्थापित कराये जाने,

(ङ) ग्राम बैढ़न में लोक निर्माण विभाग का उप संभाग स्थापित कराये जाने, तथा

(च) ग्राम ओबरी से गजरा-बहरा रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम कटरा बेलखेड़ा में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम सहजपुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(4) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) बहोरीबंद नगर में महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) बहोरीबंद नगर में स्टेडियम बनाये जाने,

(5) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, सदस्य होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम शुक्करवाड़ा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम सांगाखेड़ा कला, सांगाखेड़ा खुर्द, रानी गोहान एवं शुक्करवाड़ा कला में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने,

(6) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम कुण्डाली से भैसादंड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम गांगीबाड़ा एवं कुण्डाली कला के पास कुलबहरा नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(7) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) गाडरवारा स्थित कृषि उपज मंडी को "ए ग्रेड" मंडी का दर्जा दिलाये जाने,

(ख) गाडरवारा में गन्ना रिसर्च सेन्टर या कृषि महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) ग्राम नांदनेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ)ग्राम कांधरगांव में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम डुंगरिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे 30 मि.	(1)	मांग संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 30	ग्रामीण विकास
		मांग संख्या - 56	ग्रामोद्योग
		मांग संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या - 62	पंचायत
		मांग संख्या - 68	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत
		मांग संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या - 82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 5	जेल
		मांग संख्या - 18	श्रम
		मांग संख्या - 86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल.
30 मि.	(3)	मांग संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण.
		मांग संख्या - 77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत विशेष समस्या-खेल एवं युवक कल्याण

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

35 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये".

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में 30 वर्षों से अधिक की उप-तहसीलों को तहसील का दर्जा प्रदान किया जाये".

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि देश में प्राकृतिक आपदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाये".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 3 मार्च, 2005